प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकूला।

यादि कमांक 21–व–5–2015/3146
चण्डीगढ़ दिनांक 10/3/2015

विषयः **Diversion of 0.0125 ha. of forest land for access to retail outlet of B.P.C. Ltd. along Kalanwali-Dabwali road, km. 16-17, L/side, at Village Habuana, under Forest Division and District Sirsa, Haryana. (D-III-6046).**

संदर्भः आपका पत्र कमांक डी–III–6046/4070 दिनांक 20.01.2015 107

कृपया उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा संदर्भाधीन पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

1. विभाग के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त विषय हेतू 0.0125 है0 वन भूमि के उपयोग के लिए सैधांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती है।

(i) प्रयोक्ता एजैन्सी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये।

(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रेजैन्ट वैल्यु जमा करवाई जाये।

(iii) भारत सरकार पत्र संख्या 5–2/कैम्पा दिनांक 24.06.2011 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के (कैम्पा हरि0) लेखा संख्या एस0बी001025209, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 या (कैम्पा–हरि0) लेखा संख्या एस0बी0 344902010105418 भारतीय यूनियन बैंक, सुंदरनगर, नई दिल्ली में जमा कराया जाये और इस कार्यालय को निर्धारित प्रोफार्मा द्वारा सूचित किया जाये।

2. अन्तिम स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जायेगाः–

(i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

(ii) प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष/पौधा नहीं है इसलिए कोई वृक्ष नहीं काटा जायेगा।

(iii) विभाग के प्रस्तावनुसार केवल 6 मीटर चौडी वन पट्टी सर्विस लाईन से भूमि प्रवेश करने एवं बाहर निकलने के लिए दी जायेगी।

(iv) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

(v) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.07.2014 को जारी दिशा–निर्देशों का पालन अवश्य किया जाए।

(vi) Supreme Court के आदेशानुसार जब कभी भी एन0पी0वी0 की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी।

(vii) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।

(viii) प्रतिपूर्ति पौधारोपण के साथ–साथ उपयुक्त पौधारोपण पहूंच मार्ग, विभाजन द्वीप व अन्य खाली स्थान पर प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान विनियमों के अनुसार किया जायेगा।

(ix) प्रवेश एवं निकास को छोड़कर बाकी हिस्से पर कुछ बुटेदार तथा सजावटी पेड पौधे लगाये जाने चाहिये तथा इस भूमि का कोई व्यापारिक प्रयोग नहीं होना चाहिये और न ही इस पर कोई निर्माण कार्य होना चाहिये ।

(x) पैट्रोल पम्प की पूरी परिधि (Periphery) पर दिवार से 1.5 मीटर जगह छोडकर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light Brown पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाये।

(xi) इस प्रस्ताव को 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति राज्य सरकार से प्राप्त करनी होगी।

(xii) स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजैंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

(xiii) केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।

(xiv) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।

(xv) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगा, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।

(xvi) स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये कम संख्या वाले 4 फीट उंचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी।

(xvii) कूडा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।

(xviii) अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतू समय–समय पर लगाई जा सकती है।

(xix) प्रयोक्ता एजैन्सी उपरोक्त शर्तों की वार्षिक स्व–अनुपालना रिपोर्ट राज्य सरकार तथा इस क्षेत्रीय कार्यालय को नियमित रुप में भेजेगी।

(xx) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना विभाग की जिम्मेवारी होगी ।

4. उपरोक्त पैरा–2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा–2 अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। राज्य सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

विशेष सचिव,
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग ।

प्रतिलिपिः–

1. वन संरक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, बेज नं0 24–25, सैक्टर–31–ए, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, सिरसा।